न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 210/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– चैनाराम पुत्र देदाराम 2– दलपतराम पुत्र शिवाराम 3– सोनाराम पुत्र शिवाराम 4– श्रीमती सकुदेवी पत्नी शिवाराम समस्त जातियान पटेल निवासी गांव धांधिया तहसील लूनी, जिला जोधपुर		1– प्रभुराम पुत्र स्व0 देवाराम 2– डुंगरराम पुत्र स्व0 देवाराम 3– श्रीमती घीसीदेवी पत्नी स्व0 देवाराम समस्त जातियान देवासी, निवासी धांधियां तहसील लूनी, जिला जोधपुर 4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूनी जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–2–2016 जो उपखण्ड अधिकारी लूनी द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 20/2015 अनवान प्रभुराम वगैरा बनाम राजस्थान सरकार मे पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री धनपत चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री लाधुराम पूनिया अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 15–11–2017

इस अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा धांधिया तहसील लूनी के खेत खसरा नंबर 182/2 रकबा 8 बीघा 08 बिस्वा एवं खसरा नंबर 182/मीन 3 रकबा 13 बीघा भूमि उसके पिता देवाराम पुत्र जोगाराम के नाम की आवंटन सुदा खातेदारी की भूमि का राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करते वक्त देवाराम पुत्र जोगाराम के स्थान पर देवाराम पुत्र किशनाराम दर्ज कर दिया, जबकि देवाराम के पिता का नाम जोगाराम ही है जो अन्य खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 182, 182/1 एवं 183/1 ग्राम धांधिया मे देवाराम पुत्र जोगाराम जाति राईका के नाम से दर्ज है । अधीनस्थ न्यायालय मे जमाबंदी, बिगोडी रसीदे, खसरा गिरदावरी आदि पेश की इसके अलावा राशन कार्ड, पहचान पत्र, वोटर लिस्ट एवं प्रार्थी के पिता के देहांत होने पर जारी मृत्यु प्रमाण पत्र मे भी देवाराम पुत्र जोगाराम दर्ज है । परंतु प्रार्थीगण को उक्त त्रुटि की जानकारी हाल ही मे पटवारी हल्का से मिलने पर हुई तो उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये दुरस्ती का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बाद जांच के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26–2–2016 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए तहसीलदार

लूनी को खसरा नंबर 182/मीन 3 रकबा 13 बीघा एवं खसरा नंबर 182/2 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा ग्राम धांधियां तहसील लूनी के नाम देवाराम पि0 किशनाराम के स्थान पर देवाराम पि0 जोगाराम नाम दर्ज कर राजस्व रेकर्ड मे दुरस्ती करने के आदेश पारित कर दिये । जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नंबर 182/2 व 182/3 के संबंध मे राजस्व रेकर्ड का ठीक से अवलोकन एवं विश्लेषण किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने संवत 2031 से 2034 की खसरा गिरदावरी मे खसरा नंबर 182 की कुल 33 बीघा 15 बिस्वा भूमि मौके पर मौजुद थी । उक्त खसरा नंबर 182 की भूमि मे से 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि खातेदार देवाराम पुत्र जोगाराम राईका के नाम नामांतरकरण संख्या 162 के जरिये, 20 बीघा भूमि खातेदार देवा, नारायण पुत्रान जोगाराम के हक मे नामांतरकरण संख्या 207 के जरिये, 13 बीघा भूमि खातेदार देवा पुत्र किशनाराम राईका के नाम नामांतरकरण संख्या 208 के जरिये तथा 8 बीघा 08 बिस्वा भूमि खातेदार देदा पुत्र किशनाराम जाति पीटल के नाम नामांतरकरण संख्या 217 के जरिये भूमि का नियमन किया गया जबकि उक्त खसरा नंबर 182 की 33 बीघा 15 बिस्वा भूमि ही मौके पर मौजुद थी तो उससे अधिक का नियमन किया ही नही जा सकता था ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि नामांतरकरण संख्या 208 के जरिये खातेदार देवा पुत्र किशनाराम राईका (बोगस नाम) के नाम से 13 बीघा भूमि का (बेसी) गलत नियमन किया गया जबकि इस नाम का कोई व्यक्ति नही है एवं न ही मौके पर कृषि भूमि ही है । उक्त तमाम तथ्यो की जांच करवाये बिना तथा मौके की जांच करवाये बिना ही पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीालंट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन कृषि भूमि खसरा नंबर 182 पर अपीलांटस् का निरंतर सेटलमेंट से पूर्व से ही कब्जा चला आ रहा है तथा निरंतर उक्त भूमि पर काश्त की जा रही है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 128 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत दिनांक 4–3–2010 को प्रस्तुत कर खसरा नंबर 182 की 8 बीघा 08 बिस्वा भूमि मौजा धांधिया के संबंध मे देवा पुत्र किशनाराम राईका के स्थान पर देदाराम पुत्र किशनाराम जाति पटेल के नाम की

शुद्धि करने हेतु प्रस्तुत किया था जो विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन थी जिसमे रेस्पो0 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूनी को नोटिस पूर्व मे ही जारी किये जा चुके थे इसके बावजुद तहसीलदार लूनी ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का अवलोकन किये बगैर रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रेकर्ड मे दुरस्ती की अनुशंषा कर दी, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26–2–2016 मे कृषि भूमि खसरा नंबर 182/मीन.3 रकबा 13 बीघा एवं खसरा नंबर 182/2 रकबा 8 बीघा 08 बिस्वा भूमि के संबंध मे रेकर्ड दुरस्ती किये जाने का आदेश पारित किया गया जबकि रेस्पो0 संख्या 4 तहसीलदार लूनी द्वारा खसरा नंबर 182 रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नंबर 183/3 रकबा 13 बीघा के संबंध मे दिनांक 25–4–2016 को नामांतरकरण स्वीकार किया गया । इससे स्पष्ट है कि खसरा नंबर 182/मीन 3 रकबा 13 बीघा भूमि कही पर भी उक्त खसरे मे मौजुद नही है इसलिए तहसीलदार लूनी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के परे जाकर देवाराम पुत्र किशनाराम जाति राईका के स्थान पर देवाराम पुत्र जोगाराम जाति राईका के नाम का नामांतरकरण स्वीकृत किया गया, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0गण प्रभुराम वगैरा ने शिविर प्रभारी प्रशासन गांव के संग अभियान मे खसरा नंबर 182/2 एवं 182/3 रकबा क्रमशः 8.08 एवं 13.00 बीघा भूमि मे देवाराम पि0 किशनाराम जाति राईका के स्थान पर देवाराम पि0 जोगाराम जाति राईका की शुद्धि बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 15–6–2015 को पेश किया उससे पूर्व ही अपीलांट चैनाराम द्वारा खसरा नंबर 182 रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा भूमि सरहद मौजा धांधिया के सबंध मे नाम शुद्धि हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ था इसलिए उपखण्ड अधिकारी ने इस बाबत नोट उक्त प्रार्थना पत्र पर अंकित किया था, जो प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे पेज संख्या 26 पर उपलब्ध है जिसको नजरअंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0गण द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर दिनांक 26–2–2016 को आदेश पारित कर दिया, जो विधिविरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि रेस्पो0 गण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमे अपीलांट को पक्षकार नही बनाया जाने से अपीलाधीन आदेश से अपीलांट प्रभावित होने से यह अपील धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ पेश कर उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26–2–2016 को निरस्त कर अपीलांट के हक मे राजस्व रेकर्ड दुरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 गण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा धांधिया तहसील लूनी के खेत खसरा नंबर 182/2 रकबा 8 बीघा 08 बिस्वा एवं खसरा नंबर 182/मीन 3 रकबा 13 बीघा भूमि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता देवाराम पुत्र जोगाराम को आवंटित हुई थी, उक्त आवंटन सुदा खातेदारी की भूमि का राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करते वक्त देवाराम पुत्र जोगाराम के स्थान पर देवाराम पुत्र किशनाराम दर्ज कर दिया, जबकि देवाराम के पिता का नाम जोगाराम ही है जो अन्य खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 182, 182/1 एवं 183/1 ग्राम धांधिया मे देवाराम पुत्र जोगाराम जाति राईका के नाम से दर्ज है । अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 के पिता का नाम देवाराम पुत्र जोगाराम होने की पुष्टि स्वरूप जमाबंदी, बिगोडी रसीदे, खसरा गिरदावरी आदि पेश की इसके अलावा राशन कार्ड, पहचान पत्र, वोटर लिस्ट एवं प्रार्थी के पिता के देहांत होने पर जारी मृत्यु प्रमाण पत्र मे भी देवाराम पुत्र जोगाराम दर्ज होने का पेश किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार लूनी से रिपोर्ट तलब करने पर तहसीलदार लूनी की रिपोर्ट दिनांक 15–6–2015 जिसमे ग्राम किशनपुरा के खसरा नंबर 182/2 एवं 182/3 मे खातेदार देवाराम पि0 किशनाराम के स्थान पर देवाराम पि0 जोगाराम के रूप मे शुद्धि किये जाने की अनुशंषा के बाद जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26–2–2016 को पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से उसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अपीलांट का यह कथन किया अपीलाधीन भूमि पर उसका कब्जा काश्त चला आ रहा है तो अपीलांट अपने कब्जे के आधार पर दावे के जरिये अपने अधिकारो का निर्धारण करवा सकता है । अंत मे वकील रेस्पो0 ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अपीलाट द्वारा इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात एवं अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन किया । रेस्पो0 गण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील मे अपीलांटगण को बिना पक्षकार बनाये केवल तहसीलदार लूनी को पक्षकार बनाया जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है इसलिए अपीलाधीन निर्णय से अपीलांट प्रभावित पक्षकार होने से अपील पेश करने की अनुमति के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील पेश की है । जिस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय का अध्ययन करने अपीलांटगण अपील के साथ प्रस्तुत धारा 96 सी.पी.सी.का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ।

अपीलांटगण द्वारा इस अपील के साथ प्रस्तुत किये गये पत्रादि के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलांटगण चैनाराम वगैरा की ओर से वर्ष 2009 मे ही एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूनी मे अन्तर्गत धारा 110, 128 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया गया था जिसमे कथन किया कि अपीलाधीन खसरा नंबर 182 रकबा 33 बीघा 18 बिस्वा भूमि जो सिवाय चक है जिस पर प्रार्थीगण के पूर्वज देदाराम एवं देदारामजी के पिता किशनारामजी का वक्त सेटलमेंट पूर्वसे कब्जा होने के आधार पर उपरोक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 182 रकबा 33 बीघा 18 बिस्वा भूमि मे से 8 बीघा 08 बिस्वा भूमि का नियमन कमेटी द्वारा नियमन प्रार्थीगण के पूर्वज देदाराम पुत्र किशनाराम के नाम से किया गया तथा नियमन के आधार पर तहसीलदार जोधपुर के आदेश कमांक 1508 दिनांक 8–11–77 के कम मे नामांतरकरण संख्या 217 दिनांक 14–11–77 को स्वीकृत किया गया जिसमे राजस्व कर्मचारियो की भूल के कारण देदाराम पुत्र किशनाराम पटेल के स्थान पर देवाराम पुत्र किशनाराम कौम राईका का नाम लिखते हुए स्वीकृत कर दिया जबकि नियमन की गई कृषि भूमि पर प्रार्थीगण के पूर्वज देदाराम पुत्र किसनाराम एवं देदाराम की मृत्यु के पश्चात प्रार्थीगण का ही कब्जा चला आ रहा है, उक्त कृषि भूमि का लगान प्राथीगण एवं उनके पूर्वज द्वारा ही अदा किया जाता रहा है तथा यह भी उल्लेख किया कि देवाराम पुत्र किशनाराम कौम राईका नाम का व्यक्ति गांव धांधिया मे कभी नही रहा है । नामांतरकरण संख्या 217 मे किये गये गलत इन्द्राज की जानकारी अपीलांटगण के पिता के फौत होने पर होने पर रेकर्ड दुरस्ती का पेश किया था, जो अधीनस्थ न्यायालय मे लंबित होते हुए तथा अपीलाधीन भूमि पर अपीलांट का ही कब्जा काश्त होने की रिपोर्ट रेकर्ड पर होते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट को सुने एवं पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि जब रेस्पो0 गण के पिता एवं पति के अन्य खातेदारी की भूमियों के संबंध मे फोतेदगी का नामांतरकरण संख्या 408 खातेदार देवाराम पुत्र जोगाराम जाति राईका के फोत होने पर वर्ष 2003 मे रेस्पो0गण के पक्ष मे स्वीकृत करवाया गया था तो अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 217 जो वर्ष 1977 मे स्वीकृत हुआ था उसके संबंध मे तत्समय रेस्पो0गण ने कार्यवाही क्यो नही की तथा यह बिन्दु भी सामने आता है कि यदि नामांतरकरण संख्या 217 मे वल्दियत यदि जोगाराम के स्थान पर किशनाराम लिख भी दी गई हो तो रेस्पो0गण के पिता एवं पति ने इस संबंध मे अपने जीवनकाल मे शुद्धि या दुरस्ती बाबत कार्यवाही क्यो नही की । अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यो पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

रेस्पो0गण यदि अपीलाधीन भूमि उसके पिता के पक्ष मे हुए आवंटन एवं नियमन के आधार पर उक्त भूमि पर अपना हक अधिकार होना मानता है तो इसके लिए उसे नियमित वाद पेश कर अपने अधिकारो की घोषणा करवानी थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर पारित अपीलाधीन निर्णय के द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदत्त कर दिया, जो विधि एवं न्यायसंगत नही होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26–2–2016 निरस्त किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 15–11–2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर